

के अनुसार प्राथमिकता का प्राधान्य पर स्वीकार मिले जाने योग्य है।

अतः प्राथमिकता का प्राधान्य पर स्वीकार मिलने पर तहसीलदार लखणा को आदेश दिये जाते हैं कि उसके ग्राम आनन्दपुरा तहसील लखणा में स्थित प्लॉट नं० २७० नं० ३४ ला ५६ ५३, ५५, ३३७, ३३८, ३३९ कुल मिला १५ कुल एका ५-२६ हे० भूमि में प्राथमिकता के पितृनाम नन्दा अथवा नन्दा अंकित हो रहा है की विवेचित कर उसके प्लान पर तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं। इसी प्रकार राजस्व रिजर्व में अमल करामद करे। इसी प्रकार तहसीलदार लखणा को तहसीलदारी हो। परराजगी प्रो. होकर काश्चित कर हो।

(Handwritten signature)

उप सचिव अधिकारी
दौसा (राज.)

राजस्थान अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार २०१८
०१ मई से ३० जून २०१८

राजस्थान लोक अदालत
न्याय आपके द्वार २०१८
०१ मई से ३० जून २०१८